

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

NEW DELHI, the

11-4-91

NOTIFICATION

INCOME TAX

S.O. : In exercise of the powers conferred by item(h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the "10 year-9%(tax-free) HUDCO Scavenger Liberation Bonds (Series-I)" issued by the Housing & Urban Development Corporation for the purpose of the said item:

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his name and the holding with the said Corporation.



(H.K. SARANGI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

No. 8866

F.No. 328/100/90-WT.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3१११ में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, तारीख

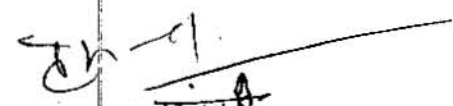
११-४-९१

अधिसूचना

आयकर

का०आ० केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, १९६१ § १९६१ का ४३§
के द्वारा १० के खण्ड § १५§ के उपखण्ड § १४ § की मद § ज§ द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा
जारी किए गए "१० वर्षीय-१४ § कर-मुक्त§ हुडको/सप्लाइ कर्मचारी धर्मियोजन
बंधपत्र § श्रृंखला-१§ को उक्त मद के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है:

परंतु उक्त मद के अधीन फायदा केवल तब अनुज्ञेय होगा जब ऐसे
बंधपत्रों का धारक अपना नाम और धृति उक्त निगम के पास रजिस्टर करा
देता है ।


§ सच० के० सरंगी§
वरसचिव, भारत सरकार

सं० ४४६६

फा० सं० ३२८/१००/१०-डब्ल्यू टी